



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट- जनपद सीतापुर

**थाना मछरेहटा पुलिस की गिरफ्त में आए लकड़ी चोर: 01 हिस्ट्रीशीटर
सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, पिकअप में लदी शीशम की लकड़ी
अवैध शस्त्र व कटान उपकरण बरामद**

दिनांक:-05.10.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए टीमों गठित कर घटनाओं के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया है-

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 05.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रिख श्री विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 233/26 धारा 303(2)BNS व 4/10 वन संरक्षण अधिनियम में वांछित हिस्ट्रीशीटर सहित 02 अभियुक्त 1.रमेश (HS N0-633A) पुत्र लालजी 2.लल्लू राम उर्फ मुन्ना पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम लालपुर इटौवा थाना मछरेहटा सीतापुर को बहादुरपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से-01 बोलेरो पिकअप में लदी हुई चोरी की प्रतिबंधित शीशम की लकड़ी चार बोटा, 04 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद बांका, 01 अदद लोहे की आरा, 01 बण्डल रस्सी व दो अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) BNS व 25(1-B) A ACT की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध/ अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग 15 दिन पूर्व ग्राम मुसौली स्थित खेत से यह शीशम का पेड़ चोरी से काटा था तथा मौसम खराब होने के कारण इसे छिपा कर रखा था। आज इसे बेचने हेतु हरदोई ले जाया जा रहा था। अभियुक्तगण रेकी कर चोरी-छिपे पेड़ काटने का गिरोह चलाते हैं।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रमेश(HS N0-633A) थाना मछरेहटा का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है। जिसके विरुद्ध पूर्व में भी जनपद के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन से ऊपर चोरी/नकबजनी/अवैश शस्त्र रखने जैसे धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

नाम पात अभियुक्तगण:-

- 1.रमेश (HS N0-633A) पुत्र लालजी निवासी ग्राम लालपुर इटौवा थाना मछरेहटा सीतापुर
- 2.लल्लू राम उर्फ मुन्ना पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम लालपुर इटौवा थाना मछरेहटा सीतापुर

बरामदगी:-

- प्रतिबंधित लकड़ी: चोरी की प्रतिबंधित शीशम की लकड़ी के 04 बड़े बोटा (बोलेरो पिकअप में लदे हुए)।
- वाहन: 01 अदद बोलेरो पिकअप (पंजीकरण सं० UP34CT 7922)।
- अवैध असलहा व कारतूस: 02 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- पेड़ काटने/बांधने के उपकरण: 04 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद बांका, 01 अदद लोहे की आरा तथा 01 बंडल रस्सी (करीब 60 हाथ)।
- नगदी: अभियुक्तों के कब्जे से जामा तलाशी में कुल ₹900/- नगदी।

आपराधिक इतिहास अभि० HS- रमेश उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०सं० 139/12 धारा 379/411 भादवि व 26 वन अधि० थाना मछरेहटा सीतापुर
- 2.मु०अ०सं० 196/14 धारा 41/401/411 भादवि थाना मछरेहटा सीतापुर
3. मु०अ०सं० 309/14 धारा 392/411 भादवि थाना कमलापुर सीतापुर
- 4.मु०अ०सं० 169/14 धारा 380/411 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
- 5.मु०अ०सं० 95/17धारा 394 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर
- 6.मु०अ०सं० 92/17 धारा 395/397/412 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर
- 7.मु०अ०सं० 194/14 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मछरेहटा
- 8.मु०अ०सं० 09/14 धारा 379/511 भादवि व 26/41/42 अधि० थाना मछरेहटा,सीतापुर
- 9.मु०अ०सं० 301/20 धारा 10 यूपी गुण्डा अधि० थाना मछरेहटा सीतापुर
- 10.मु०अ०सं० 318/21 धारा 25(1-B)A.Act थाना मछरेहटा सीतापुर
11. मु०अ०सं० 233/26 धारा 303(2)317(2) बीएनएस व धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम व 25 (1-B) आर्म्स एक्ट थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना मछरेहटा:-

थानाध्यक्ष श्री रजनीश कुमार वर्मा

उ०नि० नासिर खान

उ०नि० विजय शंकर मिश्रा

हे०का० मोहम्मद आरिफ

हे०का० श्रवण कुमार

हे०का० राजेंद्र प्रसाद चौधरी

का० सर्वेश कुमार

का० धर्मेन्द्र कुमार

का० राहुल

का० अशोक कुमार

